

No. 7(2)/EV/2016

Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 23rd November, 2017

Office Memorandum

**Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 -
Tables of Benefits for the savings fund for the period from
01.10.2017 to 31.12.2017.**

The Tables of Benefits for Savings Fund to the beneficiaries under the Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980, which are being issued on a quarterly basis from 01.10.2017 onwards, as brought out in this Ministry's OM of even number dated 17.03.2017, for the quarter from 01.10.2017 to 31.12.2017, as worked out by IRDA based on the interest rate of 7.8% per annum (compounded quarterly) as notified by the Department of Economic Affairs as per their Resolution No. 5(1)-B(PD)/2017 dated 23.10.2017, are enclosed.

2. The Tables enclosed are of two categories as per the existing practice. As hitherto, the first Table of Benefits for the savings fund of the scheme is based on the subscription of Rs.10 p.m. from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 p.m. w.e.f. 1.1.1990 onwards. The second Table of Benefits for savings fund is based on a subscription of Rs.10 p.m. for those employees who had opted out of the revised rate of subscription w.e.f. 1.1.1990.

3. While these orders are in respect of Table of Benefits for the period from 01.10.2017 to 31.12.2017, the Tables already issued for the quarters from 1.1.2017 to 31.3.2017, from 1.4.2017 to 30.6.2017 and from 01.07.2017 to 30.09.2017 are also reproduced for the sake of convenience and consolidation.

4. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

5. Hindi version of these orders is attached.



(Amar Nath Singh)
Director

To

1. All Ministries/Department of the Central Government as per standard list.

2. Copy with spare copies for information and necessary action to C&AG, UPSC, all State Government etc. as per standard list.

3. NIC, Department of Expenditure - for uploading the same on the website of Ministry of Finance, Department of Expenditure.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2017

विषय: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 - 01.10.2017 से 31.12.2017 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सारणियां।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 23.10.2017 के अर्ध-संकलन सं.5(1)-बी(पीडी)/2017 के तहत यथा-अधिस्तमित 7.8% की वार्षिक ब्याज दर (निमाही आधार पर चक्रवृद्धि) के आधार पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा 01.10.2017 से 31.12.2017 की निमाही के लिए तैयार की गई लाभाहियां के लिए बचत निधि के लाभों की सारणियां, जो इस मंत्रालय के 17.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय आपन के अर्जुसर 01.01.2017 से निमाही आधार पर जारी की जा रही हैं, संलग्न हैं।

विद्यमान पद्धति के अर्जुसर संलग्न सारणियां दो श्रेणियों की हैं। जैसा कि अब तक होता था, इस स्कीम की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है, बचत निधि के लिए लाभों की दूसरी सारणी ऐसे कर्मचारियों के लिए 10/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है जिन्होंने 01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था। यद्यपि ये आदेश 01.10.2017 से 31.12.2017 की अवधि के लिए लाभों की सारणी के संबंध में हैं, 01.01.2017 से 31.03.2017, 01.04.2017 से 30.06.2017 और 01.07.2017 से 30.09.2017 की तिमाहियों के लिए पहले जारी की गई सारणियां भी संहिता एवं समंजन के लिए पुनः प्रस्तुत हैं।

जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के निधिक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

सेवा में

1. केंद्र सरकार के सश्री मंत्रालय/विभाग (मानक सेवा के अर्जुसर)।

2. निधिक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सश्री राज्य सरकारों आदि

3. (मानक सेवा के अर्जुसर) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त पतियों के साथ।

एनआईसी, व्यय विभाग की वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने के लिए।

31/11/17
(अमर नाथ सिंह)
निदेशक

